राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
दूरभाषः 0141-2227481 फैक्सः 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईनः 15100/9928900900
ई–मेलः rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाईटः https://rajasthan.nalsa.gov.in

क्रमांकःएफ4(236)रालसा/वि.सचिव/मध्यस्थता/2025/8053 दिनांकः 19/08/25

–:: विज्ञप्ति ::–

वैकल्पिक विवाद निस्तारण एवं मध्यस्थता गतिविधियों के सफल एवं सुचारू संचालन के क्रम में प्रदेश में **उच्च न्यायालय स्तर, समस्त जिला मुख्यालयों एवं तालुकाओं पर** संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों में मध्यस्थ (Mediators) के रूप में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक, सक्षम तथा योग्य व्यक्तियों से दिनांक **25.08.2025** तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. **पात्रताः** इस हेतु निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैंः
 - (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण
 - (ii) माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण
 - (iii) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सेवानिवृत्त सिविल न्यायाधीश
 - (iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय में कम से कम 15 वर्ष वकालत का अनुभव रखने वाले अधिवक्तागण
 - (v) कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर या वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी
 - (vi) वे संस्थाएं जो स्वयं मध्यस्थता में विशेषज्ञ हैं और जिन्हें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से मान्यता प्राप्त हैं।

 नोटः उपरोक्त के साथ–साथ अन्य सेवारत एवं सेवानिवृत्त बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बीमा, शिक्षा, कृषि, राजस्व, निर्वाचन, रक्षा व अन्य सरकारी एवं निजी क्षेत्र के अधिकारीगण भी मध्यस्थ बनने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

2. **आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का स्थानः** पात्रता रखने वाले आवेदक/संस्था निर्धारित प्रारूप में जिस मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल होना चाहते हैं, उस मध्यस्थता केन्द्र/संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच के मध्यस्थता केन्द्र हेतु रालसा, जोधपुर/जयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट https://rajasthan.nalsa.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

3. मध्यस्थगण का पैनल तैयार करने के लिए यथा सम्भव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये वैकल्पिक विवाद निस्तारण नियम, 2004 के प्रावधानों की पालना की जावेगी।

4. **मानदेयः** मध्यस्थगण द्वारा प्रकरण में मध्यस्थ के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने पर उन्हें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर या प्रचलित नियमों के अनुसार समय समय पर निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जावेगा।

EoJom Attn'

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।